पत्रांक–16 / से0गा0अ0–01–10 / 2016 का0 156 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,

राँची, दिनांक 06-01-2017

विषयः– **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

आप सभी अवगत हैं कि राज्य पुनर्गठन के समय से ही यह राज्य राज्यकर्मियों की कमी से जूझ रहा है। फलतः राज्य के विकास की गति में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। लगभग 50 हजार रिक्तियाँ भरे जाने की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर की जा रही है।

2. संविधान के अनुच्छेद–14 एवं 16 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनु0–II) को यथा निर्धारित अनुपात में उदग्र आरक्षण अनुमान्य है, जबकि महिला, निःशक्तजनों एवं खेल–कूद कोटा के लिए यथा निर्धारित प्रतिशत में क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई अनुदेश पूर्व से निर्गत हैं, किन्तु यह पुनः स्पष्ट करना है कि झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची संविधान (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के माध्यम से प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया है और आरक्षण की सुविधा के लिए किसी व्यक्ति को जाति/जनजाति का सदस्य होना और उस व्यक्ति या उसके पूर्वज का सूचीकरण की तिथि को सम्बन्धित स्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। उसी प्रकार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनु0–II) के लिए भी जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धित व्यक्ति की जाति के सूचीकरण की तिथि को स्थायी रूप से राज्य में आवासित होना आवश्यक है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अपेक्षित सतर्कता आवश्यक है।

3. जहाँ तक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रश्न है, वह संकल्प सं0–3198 दिनांक–18.04.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन इस विभाग के पत्र सं0–4650 दिनांक–02.06.2016 के आलोक में निर्गत की जानी है।

4. चूँकि अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा राज्य के तेरह (13) अनुसूचित जिलों यथा– साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला–खरसावाँ में जिला स्तरीय पदों की रिक्तियों की पात्रता के लिए जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, अतः इस विन्दु पर निगरानी आवश्यक है कि अवांछनीय तत्व ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल नहीं हों।

5. उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 के अनुसार जो खतियानी रैयत या उसके संतान हैं, उन्हें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र खतियान के आधार पर निर्गत किया जाना है, किन्तु भूमिहीनों के मामले में उक्त संकल्प संख्या की कंडिका–1 के आलोक में सम्बन्धित ग्राम सभा के पहचान के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत हो सकता है।

6. उक्त संकल्प की कंडिका–2(ii) के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति या उसके संतान के 30 वर्षों या अधिक का निवास के साथ–साथ अचल सम्पत्ति अर्जित करने का प्रमाण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक है।

उक्त संकल्प की अन्य शर्त्तों में खतियान का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित नहीं है।

7. यहाँ यह स्पष्ट करना है कि स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित हर व्यक्ति चूंकि इस राज्य में आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए आरक्षण की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र इस विभाग के पत्र संख्या–6763 दिनांक–05.08.2016 की कंडिका–3 के अनुसार ही निर्गत हो सकता है।

8. जाति/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र Online निर्गत करने की व्यवस्था है, जिसमें प्रज्ञा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर) की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है :–

1. जिलों में उड़नदस्ता गठित कर प्रज्ञा केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाय ताकि आवेदकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही किसी अनावश्यक दस्तावेज के लिए आवेदक को परेशान नहीं होना पड़े।

2. झारखण्ड में आधार कवरेज लगभग 95 प्रतिशत है, जिसमें युवा वर्ग में आधार कवरेज और भी अधिक है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाईन दायर किये जाने वाले आवेदनों में इसी अनुपात में आधार की प्रस्तुती हो रही होगी।

3. जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए हेल्पलाईन सं0–18003456568 (टॉल फ्री) का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

4. यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई मैनुअल आवेदन कार्यालय में लम्बित न हो। जांच में यह भी पाया गया है कि आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन दायर नहीं कर मैनुअल आवेदन देकर आवेदक भटकते रहे। अतः मैनुअल आवेदन को भी ऑनलाईन कराना सुनिश्चित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि समाचार माध्यमों से राज्य सरकार को यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कुछ मामलों में विहित समय के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

5. लम्बित मामलों का अनुश्रवण करने के लिए झार सेवा पोर्टल के डैसबोर्ड पर By Task विकल्प में सभी स्तरों पर यथा–अनुमण्डल पदाधिकारी से लेकर राजस्व कर्मचारी तक के Login में लम्बित मामलों की समीक्षा प्रतिदिन की जाय। इसके लिए सेवा देने की गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत कुल 30 दिनों की समय–सीमा ही निर्धारित है।

एतद्‌र्थ यह निदेश दिया जाता है कि पारदर्शी तरीके से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदकों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि कोई अभ्यर्थी मात्र इन दो प्रमाण पत्रों के कारण नियोजन के वर्तमान अवसर का उपयोग करने से वंचित नहीं हो।

विश्वासभाजन,

6/1/17

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव